प्रेषक

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।
दूरभाषः– 0172–2929535

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।

यादि कमांक टीए–(एटीआई)2025/ 759-60 दिनांक 21/4/2025

विषयः– **स्टेट एस0ए0एस0, भाग–II के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना – प्रथम कोर्स ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि **एस0ए0एस0, पार्ट–1 उत्तीर्ण** कर्मचारियों हेतू लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में दिनांक **05.05.2025 से 06.06.2025** तक, **एस0ए0एस0, भाग–II की परीक्षा की तैयारी हेतू** प्रशिक्षण आरम्भ किया जा रहा है । इस कोर्स की अवधि **पांच सप्ताह** की होगी । इस प्रशिक्षण की विशेष बातें निम्नलिखित हैः–

1. प्रशिक्षण का समय पांच सप्ताह का होगा ।
2. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता)) नियम 2016 के नियम 51 के तहत तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।
3. संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं है अतः उन्हें ठहरने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।
4. प्रशिक्षणार्थी को स्टेट एस0ए0एस0 भाग– II के लिये निर्धारित कोर्स ही पढ़ाया जायेगा ।
5. प्रशिक्षणार्थियों को किताबों तथा स्टेशनरी का प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।
6. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अनुशासन में रहना होगा और इसकी अवहेलना करने वालों को संस्थान से निकाला जा सकता है और इसी तरह यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेने में रूचि न दिखाये तो उसे भी वापिस भेजा जा सकता है।

7 प्रशिक्षण हेतू इच्छुक कर्मचारियों को **Undertaking** देनी होगी कि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की समाप्ति के तुरन्त बाद होने वाली एस0ए0एस0 भाग–II की परीक्षा, सिवायें चिकित्सा आधार पर या किसी अन्य अपरिहार्य **(unavoidable)** कारणों के, में अवश्य बैठेगा और उसके पश्चात् पांच वर्ष तक हरियाणा राज्य सरकार के अधीन सेवा करेगा अन्यथा वह उसके प्रशिक्षण पर किये गये सारे व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा । यह प्रतिपूर्ति करवाने के लिये सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष जिम्मेवार होगा।

इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से उक्त वर्णित प्रशिक्षण हेतू इच्छुक **एस0ए0एस0, पार्ट–1 उत्तीर्ण** कर्मचारियों के नाम पूर्ण विवरण सहित अर्थात् रोल न0 एवं वर्ष जिसके द्वारा उन्होनें **एस0ए0एस0, पार्ट–1 की परीक्षा उतीर्ण की हो,** प्रशिक्षण आरम्भ होने से पहले दिनांक 01.05.2025 तक इस संस्थान को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा सके।

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान,
हरियाणा, पंचकूला ।

पृ0कमांक टीए–(एटीआई)2025/ 759-60 दिनांक 21/4/2025.

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी बोर्डज़ तथा निगमों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । यदि वह अपने कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से **उक्त वर्णित प्रशिक्षण हेतू इच्छुक एस0ए0एस0, पार्ट–1 उत्तीर्ण** कर्मचारियों के नाम **पूर्ण विवरण सहित अर्थात् रोल न0 एवं वर्ष जिसके द्वारा उन्होनें एस0ए0एस0, पार्ट–1** की परीक्षा उतीर्ण की हो, प्रशिक्षण आरम्भ होने से पहले **दिनांक 01.05.2025 तक इस संस्थान को भेजना** सुनिश्चित करें, तथा प्रत्येक कर्मचारी के लिये 4000/– रुपये (चार हजार रूपये) की फीस ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी जोकि प्रशिक्षणार्थी कोर्स ज्वाइन करने के समय जमा करवाएगा । फीस का ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा के पक्ष में पंचकूला में ही देय होना चाहिये ।

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान,
हरियाणा, पंचकूला ।